

दिनांक-19.09.2016 को प्रधान सचिव, लो० स्वा० अभि० विभाग की अध्यक्षता में श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयन्ती "प्रकाशोत्सव" के अवसर पर जलापूर्ति एवं स्वच्छता अधिष्ठापन से संबंधित कार्यों की तैयारियों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

1. श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लो० स्वा० अभि० वि०, बिहार, पटना।
2. श्री एस० सी० मिश्र, मुख्य अभियंता (रूपा०), लो० स्वा० अभि० वि०, बिहार, पटना।
3. श्री दिनेश कुमार, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र, लो० स्वा० अभि० वि०, बिहार, पटना।
4. श्री राघव जी राम, मुख्य अभियंता (यांत्रिक), लो० स्वा० अभि० वि०, बिहार, पटना।
5. श्री अजय कुमार सिन्हा, विशेष पदाधिकारी, लो०स्वा०अभि०वि०, बिहार, पटना।

बैठक की कार्यवाही

श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की 350 वीं जयन्ती प्रकाशोत्सव की तैयारी की समीक्षा हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय से भिन्न निर्णय, जिसपर विभाग की असहमति थी, लेते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रकाशोत्सव के अवसर पर श्रद्धालुओं एवं पुलिस बल के आवासन हेतु जिला प्रशासन द्वारा चयनित 65 अदद विद्यालयों में Prefabricated शौचालय, स्नानागार एवं यूरिनल का निर्माण लो० स्वा० अभि० विभाग द्वारा किया जाएगा।

उपर्युक्त निर्देश के आलोक में आज की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

1. श्रद्धालुओं एवं पुलिस बल के आवासन हेतु जिला प्रशासन द्वारा चयनित 65 अदद विद्यालयों में Prefabricated शौचालय की व्यवस्था लो० स्वा० अभि० विभाग द्वारा की जाएगी। साथ ही इन विद्यालयों में स्नानागार एवं यूरिनल की व्यवस्था भी लो० स्वा० अभि० विभाग द्वारा की जाएगी। कार्यपालक अभियंता, लो० स्वा० प्रमंडल, पटना पूर्व को प्रस्तावित स्थलों पर उपर्युक्त कार्य हेतु ले-आउट प्लान के साथ प्राक्कलन, मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ उन्हें निदेशित किया गया कि पटना शहर के नक्सा में प्रस्तावित



आवासन स्थल तथा उसमें विभाग द्वारा की जाने वाली व्यवस्था को दर्शायी जाए तथा इसे प्राक्कलन के साथ प्रस्तुत की जाए।

2. मुख्य अभियंता (यांत्रिक) द्वारा सूचना दी गयी कि प्रकाशोत्सव के अवसर पर जलापूर्ति हेतु 60 अदद नये टैंकर का क्रय किया जा रहा है, जिसमें से 30 अदद टैंकर तैयार हो चुका है। उन्हें निदेशित किया गया कि आवश्यकता का आकलन कर टैंकर द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति का स्थल निर्धारित करा ली जाए तथा टैंकर द्वारा जलापूर्ति हेतु प्रस्तावित जल उपलब्धता केन्द्र, निर्धारित जलापूर्ति स्थल एवं इसका Route chart पटना के नक्सा पर दर्शायी जाए।
3. मुख्य अभियंता (यांत्रिक) द्वारा सूचित किया गया कि टैंकरों से जलापूर्ति हेतु 4 अदद टैक्टर की आवश्यकता होगी, जिसमें से 2 अदद टैक्टर लो० स्वा० या० प्रमण्डल, पटना में चालू अवस्था में उपलब्ध है। मुख्य अभियंता (यांत्रिक) द्वारा सूचित किया गया कि आपदा प्रबन्धन कार्य हेतु विभाग को प्राप्त राशि में से 10.00 लाख रू० विभाग के पास शेष उपलब्ध है। मुख्य अभियंता (यांत्रिक) को निर्देशित किया गया कि उक्त अवशेष राशि से 2 अदद टैक्टर का शीघ्र क्रय सुनिश्चित किया जाए।
4. प्रकाशोत्सव के अवसर पर पेयजलापूर्ति केन्द्रों तथा श्रद्धालुओं एवं पुलिस बल के ठहराव स्थलों पर विभाग से संबंधित कार्यों के समुचित संचालन एवं रख-रखाव हेतु लो० स्वा० अभि० विभाग के सभी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
5. विभाग के प्रतिनियुक्त सभी कर्मी कर्तव्य अवधि में निर्धारित यूनिफार्म में उपस्थित रहेंगे। यूनिफार्म की व्यवस्था कार्यपालक अभियंता, लो० स्वा० प्रमण्डल, पटना पूर्व द्वारा की जाएगी।
6. प्राकाशोत्सव के अवसर पर विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मियों हेतु Orientation कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रतिनियुक्त कर्मियों से श्रद्धालुओं के साथ सदैव विन्नम व्यवहार के साथ सेवा की अपेक्षा की जाएगी। उनसे अपेक्षा रहेगी कि पंजाबी भाषा में बोल-चाल के कुछ प्रचलित शब्दों से पूर्व में ही अवगत हो जाए ताकि सहज रूप से सेवा प्रदान किया जा सके।

25.10.2014
(डी० पी० सिंह)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक- 6/वि०-10134/2015-2933 दिनांक- 26/10/16

प्रतिलिपि-

1. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता (रूपां०)/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र/मुख्य अभियंता (यांत्रिक) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. विशेष पदाधिकारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. आई० टी० मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई० टी० मैनेजर को निदेश है कि कार्यवाही की प्रति को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करें।

90
(डी० पी० सिंह)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव।
25/10/2016